

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 684 सन 2022

अनवान :-

1. राकेश कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. रजत पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. शर्मिला पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. हनुमान पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
4. रविना पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 29/09/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 81/70 की कुल 3.3753 हैक् भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रामकिशन वल्द रामरतन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रामकिशन वल्द रामरतन के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1, 3 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1, 3 जो वादीगण के पिता है के नाम से दर्ज है वादी गण के दादा रामकिशन वल्द रामरतन के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2, 4 का प्रतिवादी संख्या 1, 3 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2, 4 वादीगण की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2, 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1, 3 जो वादीगण का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 3 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता रामकिशन वल्द रामरतन के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ने

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ़)

निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिरसा की भूमि को अपने भाई/पिता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1,3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1,3 के हक हिरसा की भूमि है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1,3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 81/70 की कुल 3.3753 हैव भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रामकिशन वल्द रामरतन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रामकिशन वल्द रामरतन के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1,3 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1,3 जो वादीगण के पिता है के नाम से दर्ज है वादी गण के दादा रामकिशन वल्द रामरतन के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2,4 का प्रतिवादी संख्या 1,3 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।


प्रतिवादी संख्या 2,4 वादीगण की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1,3 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2,4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1,3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1,3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 81/70 की कुल 3.3753 हैव भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि रामकिशन वल्द रामरतन के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा रामकिशन वल्द रामरतन के नाम से दर्ज है वादी के दादा रामकिशन वल्द रामरतन के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1,3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादीगण के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का


उपस्थानकारी (राजस्व)
बोहर (हनुमानगढ़)

हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सद्युत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साधित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2, 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सद्युत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साधित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 81/70 की कुल 3.3753 हैक् भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में वादी अकेला 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा भूमि एव 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है में वादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2011 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नाहरी (हनुमानगढ़)
नाहरी (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाका दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. राकेश कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. रजत पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. शर्मिला पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. हनुमान पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
4. रविना पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 684 सन 2022 निर्णय दिनांक- 29/09/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य रायुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 81/70 की कुल 3.3753हैक् भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में वादी अकेला 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा भूमि एव 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है में वादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/09/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (नोहर)
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर (हनुमानगढ़)